-- 1/N ---

Sub: - DLA starred Question No.**65** due for answer on 28.03.2025 asked by **Sh. Veer Singh Dhingan.**

(1) May kindly see the PUC which is Vidhan Sabha Question (placed opposite) received from Deputy Secretary (Question Br.), Delhi Legislative Assembly Secretariat, GNCTD, OldSectt. for kind perusal. The Dy. Secretary, Delhi Legislative Assembly has forwarded the above said question asking wherein to furnish requisite reply by one day before from scheduled time along with 100 copies to them and 150 copies for Directorate of Information & Publicity, Delhi.

(2) In this context, it is submitted that requisite information was asked from the concerned Branches of HQ/Zonal Asstt. Commissioner of F&S through e-mail. It is further submitted that the reply from concerned branches/Zonal Asstt. Commissioner has been received and complied as under:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा दिल्ली में रहने वाले गरीब लोगों को सस्ता राशन मुहिया कराया जाता है ;	सस्ता राशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लागू होने के बाद सितंबर 2013 से उपलब्ध कराया जा रहा था । लेकिन 2020 में कोविड महामारी के दौरान अप्रैल 2020 से राशन मुफ़्त उपलब्ध कराया गया (दिसंबर 2020 से अप्रैल 2021 के अतिरिक्त) जिसकी समय सीमा भारत सरकार द्वारा 01.01.2024 से अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है।
ख)	यदि हाँ, तो इस प्रयोजन हेतु दिल्ली में विधान सभा वाइज़ कुल कितने राशन कार्ड किस मापदंड से बनाए गए हैं ;	17,41,266 1. वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपये से कम 2. बिजली का मीटर 2 kw से कम 3. आयकर दाता न हो 4. घर का कोई सदस्य सरकारी सेवा में न हो 5. A से E Category की कालोनी मै मकान न हो 6. चार पहिया वाहन न हो (आजीविका के निर्वहन हेतु छूट है)।
ग)	क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली में लाखों गरीब लोग इन राशन कार्डों से वंचित हैं; और	यह सत्य नहीं है।
घ)	यदि हाँ, तो सरकार कब तक राशन कार्डों से वंचित लोगों को राशन कार्ड बनाकर देगी ?	भारत सरकार द्वारा दिल्ली में राशन लाभार्थियों की सीमा 72,77,995 तय की गई है और इतने ही लाभार्थियों के राशन कार्ड बनाए जा चुके है। राशन कार्ड बनाना एक सतत प्रक्रिया है जो कि रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार नए राशन कार्ड जारी किए जाते हैं।

(3) In view of the above, if agreed and approved we may submit the file to Competent Authority for approval/signature please.

FSO (Coord.) [signature] 21.3.25

137/Coord. 21/3/25

Asstt. Comm. (Coord.) [signature] 21.3.25

Spl.CFS, F&S -(in-meeting) [signature] 21/3/2025

ACS-cum-Commissioner, F&S [signature] 21.03.25

Hon'ble Minister(F&S) [signature]

Spl CFS

ACS (F&S) [signature] 24/3

Vidhan Sabha Question
Immediate/Out Today

Govt. of National Capital Territory of Delhi
Department of Food Supplies and Consumer Affairs
K-Block, VikasBhawan, I.P. Estate, New Delhi – 110002
(Coordination Branch)

No. F.3 (117)/DLA/Coord/F&S/2025/ 306-307 Dated: 24.03.25

To,

The Dy. Secretary (Question & Committee),
Delhi Legislative Assembly,
Old Secretariat,
Delhi-110054

Sub: -Delhi Legislative Assembly Starred Question No. **65** asked by Shri. Veer Singh Dhingan, Hon'ble MLA due for answer on **28/03/2025.**

Sir,

With reference to above cited subject, I am directed to forward herewith 100 copies of reply of the above question, duly authenticated by the Competent Authority.

Yours faithfully,

Asstt. Commissioner,
F&S

Coordination Branch
Food Supplies & Consumer Affairs
Govt. of NCT of Delhi
K-Block, Vikas Bhawan, New Delhi-02

No. F.3 (117)/DLA/Coord/F&S/2025/ 306-307 Dated: 24.03.25

Copy for information to:

The Director, Directorate of Information and Publicity, Government of NCT of Delhi, Old Secretariat Delhi along with 150 copies of the reply of above referred DLA Starred Question of distribution of the House.

खाद्य संभरण एवं उपभोक्ता कार्य कलाप विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली सरकार
के – ब्लॉक, विकास भवन, नई दिल्ली

विधान सभा तारांकित प्र. स. 65
दिनांक : 28.03.2025

प्रश्न कर्ता : श्री वीर सिंह धिंगान

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा दिल्ली में रहने वाले गरीब लोगों को सस्ता राशन मुहिया कराया जाता है ;	सस्ता राशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लागू होने के बाद सितंबर 2013 से उपलब्ध कराया जा रहा था। लेकिन 2020 में कोविड महामारी के दौरान अप्रैल 2020 से राशन मुफ़्त उपलब्ध कराया गया (दिसंबर 2020 से अप्रैल 2021 के अतिरिक्त) जिसकी समय सीमा भारत सरकार द्वारा 01.01.2024 से अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है।
ख)	यदि हाँ, तो इस प्रयोजन हेतु दिल्ली में विधान सभा वाइज़ कुल कितने राशन कार्ड किस मापदंड से बनाए गए हैं ;	17,41,266 1. वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपये से कम 2. बिजली का मीटर 2 kw से कम 3. आयकर दाता न हो 4. घर का कोई सदस्य सरकारी सेवा में न हो 5. A से E Category की कालोनी मै मकान न हो 6. चार पहिया वाहन न हो (आजीविका के निर्वहन हेतु छूट है)।
ग)	क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली में लाखों गरीब लोग इन राशन कार्डों से वंचित हैं; और	यह सत्य नहीं है।
घ)	यदि हाँ, तो सरकार कब तक राशन कार्डों से वंचित लोगों को राशन कार्ड बनाकर देगी ?	भारत सरकार द्वारा दिल्ली में राशन लाभार्थियों की सीमा 72,77,995 तय की गई है और इतने ही लाभार्थियों के राशन कार्ड बनाए जा चुके है। राशन कार्ड बनाना एक सतत प्रक्रिया है जो कि रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार नए राशन कार्ड जारी किए जाते हैं।

Asstt. Commissioner (F&S)
Coordination Branch
Food Supplies & Consumer Affairs
Govt. of NCT of Delhi
K-Block, Vikas Bhawan, New Delhi-02